

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. छेलुकंवर पत्नी विरधदान 2. पदमदान पुत्र वेणीदान जाति चारण, निवासी विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाडमेर		1. जगदीशसिंह पुत्र माणका जाति राजपुत, निवासी मेहताब का बेरा तहसील शिव, जिला बाडमेर 2. दरियाकंवर पुत्री माणका पत्नी हाथीसिंह - फौत 2.1 सरूपसिंह पुत्र हाथीसिंह जाति राजपुत, निवासी मूलाणा तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर 3. पपुकंवर पुत्री माणका पत्नी खुमाणसिंह जाति राजपुत, निवासी मेहताब का बेरा हाल निवासी कुण्डा तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर 4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव



उपस्थित : अधिवक्ता वादीगण - श्री बृजमोहन कुमावत।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 29.05.2026

वादीगण अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादीगण अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल धारवीकला के ग्राम मेहताब का बेरा के खेत खसरा नम्बर 387 रकबा 16.7054 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किरग	लगान	बरग
1	छेलुकंवर पत्नी विरधदान 1/2, पदमदान पुत्र वेणीदान 1/2 जाति चारण सा. मुहड़ो की ढाणी खातेदार	मेहताब का बेरा	387	3.2374	बा.चा.	0.50	खाकी
			387	0.9389	बा.चा.	0.10	
			2	4.1763	-	0.60	
2	जगदीशसिंह पुत्र माणका 1/3, दरियाकंवर पुत्री माणका 1/3, पपुकंवर पुत्री माणका 1/3 जाति वजीर सा. देह खातेदार	मेहताब का बेरा	387	12.5291	बा.चा.	1.25	हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के सलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर  
शिव (बाडमेर)

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
शिव (बाडमेर)